न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 62/2022 बउनवानी राजू कांकोरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधि.स0
पुत्र स्व0 श्री देवीनारायण कांकोरिया ग्राम व पोस्ट खण्डार
GCMS No-2022/110

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
29.7.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 15.5.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर ऐसे कितने उचित मूल्य दुकानदार है जिनकी पीओएस मशीन मे आवंटन से अधिक सरकारी गेंहूँ का स्टॉक चढा हुआ है उनके नाम एवं पीओएस मशीन नम्बर सहित गेंहूँ के स्टॉक की सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत मय निर्धारित समय सीमा में आवेदक को समस्त दस्तावेजो की प्रमाणित नकल उपलब्ध करावे तथा नकल मे यह बिन्दु भी अंकित होना चाहिए की किस किस उचित मूल्य दुकानदार के स्वंय की पीओएस मशीन मे आवंटन से अधिक कितना सरकारी गेंहूँ चढा हुआ है। ऐसे समस्त उचित मूल्य दुकानदारो की अलग–अलग प्रमाणित नकल उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार रसद ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2022/751 दिनांक 28.7.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने एवं चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण तलाश किया जाना सम्भव नही है। इसलिए सूचना दिया जाना सम्भव नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 15.5.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। अपीलान्ट को जिस जिस पीओएस मशीन के संबंध मे जानकारी चाहिए उन पीओएस मशीन की संख्या इत्यादि का पूर्ण विवरण अंकित कर वांछित सूचना जिला रसद कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर छाया प्रति प्रमाणित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट, सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:29:42 IST
Reason: SelfAttested